

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2019 (रे.वि.)  
पंजीयन दिनांक 13.03.2019

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय-वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर. पी. एम. रोड़, फार्ट मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर, एम. आई. रोड़, जयपुर राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश यादव

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री रतन लाल निवासी प्लाट नम्बर डी-100, सेक्टर-5, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312001 (नाम तर्क)
- 2-श्रीमति प्रेम बाई हरिजन निवासी प्लाट नम्बर डी-100, सेक्टर-5, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312001

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 06.08.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 3,58,670/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋणी का नोटिस उसकी मृत्यु की सूचना के साथ प्राप्त होने पर बैंक प्रतिनिधि द्वारा विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क कर विपक्षी संख्या 2 जो कि सहऋणी है उससे राशि वसूल करने तथा विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क किये जाने हेतु निवेदन करने पर विपक्षी संख्या 1 का नाम तर्क करने के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई।

वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

आवासीय प्लॉट नम्बर डी-100, सेक्टर-5, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज है तथा उक्त सम्पत्ति श्री रतन लाल पुत्र डा. प्यारे लाल हरिजन के पक्ष में नगर पालिका बोर्ड, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के द्वारा जारी शाश्वत लीज संख्या 71, दिनांक 07.01.2005 के अनुसार लिखी गई है।

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 16.05.2018 तक राशि रुपये 5,31,340/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्ज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़ (राज.)




अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



  
(शिवांगी स्वर्णकार)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
चित्तौड़गढ़ (राज.)